>

Title: Need to declare persons missing following floods and landslides in Uttarakhand as 'Missing Presumed Dead' to enable their dependents to get compensation and other facilities.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मैं सरकार का ध्यान उत्तराखण्ड में आई दैवीय आपदा में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए देश के निवासियों व लापता लोगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, तो मैं असमय मौत को प्राप्त हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार के सदस्य को इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।

जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उत्तराखण्ड में आई दैवीय आपदा में स्थानीय निवासियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू-व-कश्मीर, असम व पांडिचेरी के लोगों के लापता होने की सूचना है। इस संबंध में मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार सुनामी के समय लापता लोगों को Missing Presumed Dead घोषित किया गया था इसी प्रकार आपदा में भी लापता लोगों को Missing Presumed Dead घोषित किया जाना चाहिए जिससे उनके कानूनी वारिस उनके बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, फण्ड तथा अन्य कोई कार्य है, उसे सम्पादित कर लें। जो लापता व्यक्ति सरकारी नौकरी में थे, उनके बच्चे अनुकम्पा आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकें।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि जो व्यक्ति उत्तराखण्ड की आपदा में लापता हैं उन्हें Missing Presumed Dead घोषित करें जिससे उनके कानूनी वारिस तत्काल मुआवजा व अन्य सुविधाएं शीघ्र प्राप्त कर सकें।